तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स **अपील /एलआर/2053/2004/जयपुर** **राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बनाम लक्ष्मीदेवी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल–पीठ
डॉ0 महेन्द्र लोढ़ा, सदस्य

उपस्थितः–
श्री शिशिर विजयवर्गीय, अधिवक्ता अपीलाण्ट की ओर से।
श्री संजय शर्मा, अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः–11.07.2025

1– उक्त अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर द्वारा अपील संख्या 132/2001 में पारित निर्णय दिनांक 24–05–2003 के विरूद्ध मण्डल के समक्ष धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है।

2– विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस अपील व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर सुनी गयी।

3– सर्वप्रथम अपीलाण्ट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि अपीलाधीन निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 10–12–03 को होने पर तहसीलदार आमेर द्वारा जिला कलेक्टर जयपुर से निर्णय दिनांक 24–05–2003 को राजहित के विपरीत होने से अपने पत्रांक 728 दिनांक 10–12–03 को मार्गदर्शन चाहा गया। जिस पर जिला कलेक्टर जयपुर के द्वारा उसका विधिक परीक्षण कराये जाने के बाद अपने पत्रांक 754 दिनांक 28–01–2004 के द्वारा मण्डल अजमेर में अपील दायर करने का निर्देश दिया। जिसके बाद प्रकरण से सम्बंधित निर्णयों की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 28–02–2004 को प्राप्त की गयी और प्रकरण से सम्बंधित अन्य दस्तावेजात एकत्रित किये गये। फरवरी 04 के बाद माह मार्च 03 में राज्य सरकार द्वज्ञरा चलायी गयी 100 दिवसी कार्य योजना एवं राजस्व वसूली एवं मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण कार्य एवं भू अभिलेख कम्प्यूटिकरण आदि एवं साथ ही लोकसभा चुना 2004 की घोषणा हो जाने के बाद चुनाव कार्य में व्यस्थ होने से मुख्यालय की अनुमति प्राप्त नहीं हुई। जिसके पश्चात् अपील तैयार करवायी जाकर पेश की गयी है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया।

4– तत्पश्चात विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने दौराने बहस अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि मूल आवंटी पवनकुमार को जो कि दुर्गासहाय का पुत्र है तथा वक्त आवंटन उसके पिता सरपंच थे और आवंटन सलाहकार समिति के सदस्य थे। इस कारण उन्होंने अपने पद का अनुचित लाभ प्राप्त करन के उद्देश्य से भूमि का आवंटन अपने व अपने पुत्रों के नाम कराया था जो कि आवंटन नियम व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। न्यायालय अति0

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स **अपील /एलआर/2053/2004/जयपुर** **राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बनाम लक्ष्मीदेवी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कलक्टर जयपुर ने उचित रूप से आवंटन को खारिज किया था परंतु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा मात्र कयास के आधार पर उसे बहाल रखे जाने में त्रुटि कारित की है। अतः ऐसे आवंटनों को निरस्त किये जाने बाबत् राज्य सरकार के द्वारा गठित बेरी आयोग ने भी उनके समक्ष प्रस्तुत की गयी समस्त साक्ष्य का अवलोकन कर आवंटन को विधि विरूद्ध पाते हुए उसे निरस्त करने हेतु राज्य सरकार को सिफारिश की थी और अति0 कलेक्टर ने 14 (4) के आवंटन नियम 1970 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाकर सही रूप से खारिज किया था। अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी ने इस बात पर गौर नहीं किया कि आवंटित की गयी भूमि जयपुर शहर के 10 मीटर की परिधि में स्थित है। इस कारण आवंटन नियमों के अनुसार उक्त भूमि आवंटन सही रूप से खारिज किया था किन्तु राजस्व अपील प्राधिकारी ने इसे नहीं मानकर निर्णय पारित करने में त्रुटि कारित की है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने इस बात पर गौर नहीं किया कि जहां पर आवंटन धोखे से एवं तथ्यों को छिपाकर या आवंटन नियमों के विपरीत प्राप्त किया जाता है ऐसे आवंटन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात् भी आवंटन जिला कलक्टर खारिज करने में सक्षम है। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24–05–2003 जो अपील संख्या 132/2001 में पारित किया गया है को निरस्त फरमाया जावे। 5– इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने दौराने बहस अधिवक्ता अपीलाण्ट के कथनों का विरोध करते हुए अभिकथन किया कि प्रश्नगत भूमि का आवंटन दिनांक 18–06–69 को किया गया था जिसके खातेदारी अधिकार मूल आवंटी दुर्गासहाय को प्राप्त हो गये थे। उक्त आवंटन के 30 वर्ष पश्चात् तकनीकी बिन्दु के आधार पर आवंटी के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त करने का कोई विधिक औचित्य नहीं था। न्यायालय अति0 कलक्टर जयपुर के समक्ष अपील पेश की गयी थी उसमें उक्त आवंटन को निरस्त किये जाने का कारण अंकित किया है कि वे आवंटन के समय आवंटन कमेटी के सदस्य के रूप में उपस्थित थे परंतु इस सम्बंध में आवंटन के समय आवंटन कमेटी के सदस्य के रूप में आवंटी सरपंच उपस्थित था अथवा नहीं और वह आवंटन कमेटी का सदस्य होने के नाते वक्त आवंटन उपस्थित हुआ अथवा नहीं और आवंटन कार्यवाही पर क्या उसके द्वारा हस्ताक्षर किये गये यह अपने विवेचन में स्पष्ट नहीं किया है। केवल मात्र सरपंच होने के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि आवंटन उनके प्रभाव में करवाया गया था। 35 वर्ष पुराने आवंटन को तकनीकी आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील को स्वीकार कर उनके पक्ष में किये गये आवंटन आदेश को बहाल रखने का आदेश पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि कारित नहीं की गयी है। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमायी जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–05–2003 बहाल रखा जावे। 6– हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष द्वारा अपील पर की गयी बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम हम अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना न्यायहित में	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स **अपील /एलआर/2053/2004/जयपुर** **राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बनाम लक्ष्मीदेवी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उचित समझतें है। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के जो कारण दर्शित किये है से पर्याप्त एवं संतोषप्रद प्रतीत होते हैं। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार फरमाया जाकर अपीलाण्ट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब क्षम्य किया जाता है। 7— राजस्थान सरकार राजस्व (बेरी आयोग) विभाग द्वारा (कृषि भूमि सम्बंधी जांच) प्रतिवेदन अनुसार कार्यवाही करने हेतु स्टेट बनाम दुर्गासहाय व अन्य में जिला कलक्टर जयपुर को प्रेषित किया गया। तत्पश्चात् उक्त प्रतिवेदन अनुसार राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 के नियम 14 (4) के अन्तर्गत अपीलाण्ट द्वारा आवंटन को निरस्त कराने हेतु न्यायालय अति0 जिला कलक्टर चतुर्थ के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया गया। न्यायालय अति0 जिला कलक्टर चतुर्थ जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 31—03—2001 के द्वारा दुर्गासहाय एवं उनके पुत्र पवनकुमार के नाम से किये गये आवंटन आदेश दिनांक 18—06—69 को निरस्त कर दिया। प्रस्तुत प्रकरण में केवल दुर्गासहाय के वारिसान द्वारा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के समक्ष अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश की गयी। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 24—05—2003 के द्वारा अपील अपीलाण्ट स्वीकार करते हुए न्यायालय अति0 जिला कलक्टर चतुर्थ जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31—03—2001 को खारिज करते हुए आवंटी दुर्गासहाय के पक्ष में किये गये आवंटन आदेश बाबत् खसरा नम्बर 466 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 467 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 468 रकबा 2 बीघा कुल रकबा 7 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम ढण्ड तहसील आमेर को यथावत रखने का आदेश पारित किया। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24—05—2003 से व्यथित होकर अपीलाण्ट सरकार जरिये तहसीलदार आमेर द्वारा हस्तगत अपील मण्डल के समक्ष अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है। न्यायालय अति0 जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर की पत्रावली के साथ कोई आवंटन आदेश की प्रमाणित अथवा फोटो प्रति संलग्न नहीं है। आवंटी द्वारा उक्त भूमि अपने नाम ग्राम पंचायत दण्ड का सरपंच रहते हुए आवंटित करवायी थी। इसके अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि आवंटी द्वारा अपने पुत्र के नाम भी भूमि आवंटित करवायी गयी थी जिसकी पुष्टि न्यायालय अति0 जिला कलक्टर चतुर्थ द्वारा पारित निर्णय से होती है। प्रस्तुत प्रकरण में आवंटी दुर्गासहाय ने सरपंच की हैसियत से आवंटन सलाहकार समिति के सदस्य होते हुए उक्त आवंटन करवाया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। न्यायालय अति0 जिला कलक्टर चतुर्थ जयपुर ने विधिसम्मत निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर ने आवंटी दुर्गासहाय के पक्ष में किये गये आवंटन को बहाल रखने का आदेश पारित किया है जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उपर्युक्त विवेचन/विश्लेषण के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण रूप से आवंटी दुर्गासहाय के पक्ष में किये गये आवंटन आदेश दिनांक 18—06—69 को बहाल रखे जाने के आदेश पारित किये है जो कि विधिसम्मत नहीं होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। न्यायालय अति0 जिला कलक्टर चतुर्थ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31—03—2001 विधिसम्मत है जिसमें	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स **अपील /एलआर/2053/2004/जयपुर** **राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बनाम लक्ष्मीदेवी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	किसी प्रकार की विधिक त्रुटि कारित किया जाना प्रतीत नहीं होता है। 8— परिणामतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24—05—2003 निरस्त किया जाता है एवं न्यायालय अति0 कलक्टर चतुर्थ जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31—03—2001 बहाल रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। (डॉ0 महेन्द्र लोढ़ा) सदस्य	